उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या -1585 -अ0प्र0-07/पाकालि/15-16-अ0प्र0-07/14 दिनांक 30.06.2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम /जन्मतिथि/गृह जनपद/वर्ग/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित निगम/इकाई	आवण्टित अभिज्ञान सं0
1	श्री सूरज मल सिंह/श्री बी0 सहाय/ 09.11.58/अलीगढ़/अ0पि0व0/377/79-80	वि0जा0पा0खं0, गौतम बुद्ध नगर	पारेषण संगठन	201510

यह प्रोन्नति आदेश दिनांक 01.07.2015 अथवा कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।

उक्त अवर अभियन्ता के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात् तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

(ग) उपर्युक्त सूची मे अंकित अवर अभियन्ता के विरूद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

2. **सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।**
3. **उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।**
4. **आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण निति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।**
5. **उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यभार से तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।**
6. **नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।**

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :–1585–अ0प्र0–07/पाकालि/2015/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
9. उपसचिव (अ0प्र0–03/04) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0–03/04)/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारी को इस आशय से कि वे प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र एवं हिन्दी भाषा उत्तीर्ण करने विषयक प्रमाणपत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)
उप सचिव